*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–2ब०/विविध–24–01/2012 44 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 29/8/18

विषयः– **विकास भवन, नया सचिवालय, पटना अवस्थित, नगर विकास एवं आवास विभाग के भूतल पर स्थित Conference Hall में विभिन्न कार्य कराने हेतु ₹95.39150 लाख (पंचानवे लाख उनचालीस हजार एक सौ पचास रु०) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के पत्रांक– 8478, दिनांक– 08.08.2018 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के भूतल पर स्थित Conference Hall में विभिन्न कार्य कराने हेतु कुल ₹95.39150 लाख (पंचानवे लाख उनचालीस हजार एक सौ पचास रु०) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में विकास भवन, नया सचिवालय, पटना अवस्थित नगर विकास एवं आवास विभाग के Conference Hall में निम्न तालिका के स्तम्भ– 2 में वर्णित कार्य कराने हेतु स्तम्भ– 4 के अनुरूप कुल ₹95.39150 लाख (पंचानवे लाख उनचालीस हजार एक सौ पचास रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है।

(राशि लाख में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	*2*	*3*	*4*
1.	Supply and Installation of Audio Visual System for Conference Hall at Urban Devleopment, Ground Floor, Vikash Bhawan, Patna.	61.04150	61.04150
2.	Supply and Installation of UHD Video Wall Display for Conference Hall at Urban Development, Ground Floor, Vikash Bhawan, Patna.	34.35000	34.35000
	कुल योग	**95.39150**	**95.39150**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹95.39150 लाख (पंचानवे लाख उनचालीस हजार एक सौ पचास रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. तालिका में वर्णित कार्यों का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

4. स्वीकृत कुल ₹95.39150 लाख (पंचानवे लाख उनचालीस हजार एक सौ पचास रु०) मात्र सहायक अनुदान की **राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग** द्वारा की जाएगी। उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के तहत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में करते हुए बैंक ड्राफ्ट अथवा RTGS के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

5. स्वीकृत कुल ₹95.39150 लाख (पंचानवे लाख उनचालीस हजार एक सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 05–अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ, लघु शीर्ष– 001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष– 0104–निदेशालयों एवं इनके समतुल्य संस्थानों के आधुनिकीकरण हेतु विपत्र कोड– **48-2217050010104,** विषय शीर्ष– 0104.31.05–सहायक अनुदान– परिसम्पत्तियों के निर्माण से विकलनीय होगा। राशि की निकासी विभागीय स्तर से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार ''सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

8. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

9. **योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

10. स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

11. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/विविध–24–01/2012 के पृष्ठ सं०–68/टि० पर दिनांक–24.08.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–68/टि० पर दिनांक–27.08.18 को प्राप्त है।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. इसकी सूचना प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.08.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/विविध–24–01/2012 44 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–29/8/18

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभगीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई0मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.08.18

सरकार के विशेष सचिव।